सीमाशुल्क

टिप्पण : *सीमाशुल्क से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।*

सीमाशुल्क के बारे में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

I. साधारण दर संरचना :-

क 10% अधिभार तारीख 1 मार्च, 2001 से समाप्त हो जाएगा।

ख चाय और काफी, कोपरा, नारियल और नारियल के टुकड़ों पर सीमाशुल्क 35% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।

ग कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेल पर सीमाशुल्क की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की गई हैं:-

		से	तक
(i)	**कच्चा तेल**		
(क)	ताड़ का तेल (वनस्पति-अंतिम उपयोग के आधार पर)	25%	55%*
(ख)	ताड़ का तेल (साधारण)	55%	75%
(ग)	सोयाबीन का तेल	35%	45%
(घ)	सूरजमुखी/कुसुम का तेल	35%	75%
(ङ)	नारियल का तेल	45%	75%
(च)	रेपसीड ऑयल	35%	75%
(छ)	मूंगफली का तेल	35%	75%
(ज)	कोलजा/सरसों का तेल	35%	75%
(झ)	अन्य सभी तेल	35%	75%
(ii)	**परिष्कृत तेल**		
(क)	ताड़ का तेल (साधारण)	65%	85%
(ख)	सोयाबीन का तेल	45%	कोई परिवर्तन नहीं।
(ग)	सूरजमुखी/कुसुम का तेल	45%	85%
(घ)	नारियल का तेल	45%	85%
(ङ)	रेपसीड ऑयल	45%	75%
(च)	मूंगफली का तेल	45%	85%
(छ)	कोलजा/ सरसों का तेल	45%	75%
(ज)	अन्य सभी तेल	45%	85%

*यह रियायत केवल रुग्ण वनस्पति एककों तक ही सीमित रहेगी।

घ सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार सेक्टर:-

- **सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार उत्पादों के विनिर्दिष्ट संघटकों पर 15% सीमाशुल्क की विद्यमान दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।**
- **विनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उत्पादों पर सीमाशुल्क कम करके 15% कर दिया गया है। मुख्य उत्पाद नीचे उपदर्शित किए गए हैं:-**

(क) बेतार हैंडसेट सहित लाइन टेलीफोन सेट्स
(ख) फैक्स मशीनें
(ग) टेलीप्रिंटर और टेलीफोनिक या तार स्विचिंग उपस्कर तथा सेट टाप बाक्स।
(घ) वर्ड प्रोसेसिंग मशीनें ।
(ङ) संगणक मशीनें
(च) एकाउंटिंग मशीनें।
(छ) स्वचालित गणक मशीनें(एटीएम) और उनके विनिर्दिष्ट पुर्जे
(ज) स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीनों के स्थैतिक परिवर्तक
(झ) स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन और दूरसंचार उपकरण जिसमें उनके विनिर्दिष्ट पुर्जे भी सम्मलित हैं, के विद्युत प्रदाय के लिए प्रेरक।
(ञ) कुछ प्रकार के संधारित्र
(ट) अनरिकार्डेड मैग्नेटिक टेपें
(ठ) डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा
(ड) इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रौमैकेनिकल स्विच
(ढ) विनिर्दिष्ट फोटोप्रतिलिपिकरण उपकरण

ङ आधारिक टेलीफोन, सेलुलर, रेडियो पेजिंग,वी-सेट, पी एम आर टी एस और इंटरनेट सेवाओं के लिए विनिर्दिष्ट उपस्कर और उनके भागों पर लागू ग्राह्य 5% सीमाशुल्क की रियायती दर तारीख 31.3.2002 तक विस्तारित की गई है।

च. 159 विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल्स मशीनों पर सीमाशुल्क 15% से कम कर के 5% कर दिया गया है।

छ. निम्नलिखित पर सीमाशुल्क में कमी:

- डी एम टी, पीटीए, एमईजी और केपरोलेक्टम में 25% से कम करके 20%
- पालिएस्टर और नायलॉन चिपों पर 35% से कम करके 25%।

- सिल्क अपशिष्ट, 35% से कम करके 15% ।
- कपास अपशिष्ट, 25% से कम करके 15%।
- फ्लैक्स फाइबर, 25% से कम करके 15%।
- पेनों के पुर्जे, 35% से कम करके 15%।
- एटीएम के लिए उप-संयोजन, 35% से कम करके 15%।
- थर्मामीटर के लिए ग्लास कैपिलेरी ट्यूब में 35% से कम करके 25%।
- पूर्ण दग्ध चुम्बक (उच्च शुद्धता); संगलित मैगनीशिया और समुद्री जल मैग्नीशिया में 25% से कम करके 15%।
- सीमेंट और क्लिंकर, 35% से कम करके 25%।
- सोडा भस्म, 35% से कम करके 20%।
- विनिर्दिष्ट चलचित्रीय कैमरा और उपस्कर, 25% से कम करके 15%।
- क्रीडा/खेल स्टेडियम में उपयोग के लिए लैंप और प्रकाश फिटिंग, यदि मान्यताप्राप्त परिसंघों या संगमों द्वारा आयात किए जाएं, 35% से कम करके 15%।
- कर्तित और पालिशकृत रंगीन जड़ाऊ रत्न 35% से कम करके 15%।
- रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रायोजित विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयातित उपस्कर पर शुल्क 25% से कम करके 15% कर दिया गया है।

ज स्वर्ण पर शुल्क 400 रुपए प्रति दस ग्राम से कम करके 250 रुपए प्रति दस ग्राम किया गया है।

झ विमानों, विमानों के सिमुलेटरों, हेलीकाप्टरों और ग्लाइडरों पर 3% सीमाशुल्क अधिरोपित किया गया है।

ञ एनेक्सोपेरिन पर 15% सीमाशुल्क अधिरोपित किया गया है। प्रतिशुल्क से छूट को भी वापस ले लिया गया हैं।

ट निम्नलिखित मदों पर 5% शुल्क अधिरोपित किया गया है।

क्रम संख्या	मद
1.	शुष्क फलीदर वनस्पति (दालें)
2.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किरोसिन
3.	अंगूर की पैंकिंग के लिए अंगूर रक्षक पेपर
4.	हथकरघा सेक्टर के लिए कच्ची ऊन
5.	अपरिष्कृत मोती (कल्चरित से भिन्न) अपरिष्कृत कल्चरित मोती (अधिमिश्रण सहित), रुबी, पन्ना और नीलम (जो जड़े न हों और अकर्तित हो) अनगढ़े हीरे, अनगढ़े उपरत्न।
6.	आउटबोर्ड मोटरों के विनिर्दिष्ट पुर्जे
7.	क्रूज/स्थोरा पोत और माल/ व्यक्तियों के परिवहन के लिए इसी तरह के जलयान, जब उनका भंजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए।
8.	मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण/ परिरक्षण के लिए मछली पकड़ने के लिए जल-यान और अन्य जलयान, जब उनका कतिपय शर्तों के अध्यधीन भंजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए।
9.	कतिपय शर्तो के अधीन रहते हुए ड्रेजर, टग्स और पुशरक्राफ्ट जब उनका भंजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए।
10.	विनिर्दिष्ट अस्पताल में प्रयोग के लिए अस्पताल उपस्कर (उपस्कर, उपकरण और साधित्र जिसमें उनके पुर्जे और उपसाधन सम्मिलित है किंतु इसमें उपभोज्य मदें सम्मिलित नहीं है)
11.	15 मेव या उससे अधिक की बीम ऊर्जा सहित लिनियर त्वरका

उपरोक्त मदों को विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त है।

ठ पुरानी (पूर्व स्वामित्व) कारें, बहुउपयोगी यानों और दुपहिया पर 105% तक शुल्क में वृद्धि की गई है।

ड द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और वाटल निष्कर्षण को अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

ढ पुराने और त्रुटियुक्त एचआर कायलों पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। प्राइम एचआर कायल पर शुल्क 25% की दर पर बना रहेगा।

ण गालन स्क्रैप, जिसमें किसी प्रौद्योगिकी पर आधारित सभी स्टील गालन भी सम्मिलित हैं, को रियायती सीमाशुल्क की परिधि में लाया गया है।

त 5% की सीमाशुल्क की रियायती दर, अनुरक्षण के लिए भी विंड प्रचालित विद्युत प्रजनक के विनिर्दिष्ट पुर्जों को विस्तारित की गई है।

थ द्रवित प्राकृतिक गैस संपरिवर्तन किट और उनके पुर्जों पर 5% की रियायती दर विस्तारित की गई है।

द यात्री सामान पर शुल्क की दर को विशेष अतिरिक्त शुल्क से इसे छूट देकर 60% तक सुव्यवस्थित किया गया है। निवास नियम के अंतरण के अधीन यात्री सामान पर विशेष अतिरिक्त शुल्क के बिना अब 35% का शुल्क होगा।

II प्रत्यायित प्रेस कैमरामैन और प्रत्यायित प्रेस पत्रकारों को पांच वर्ष में एक बार के अनुबंध के स्थान पर दो वर्ष में एक बार शुल्क मुक्त रियायत अनुज्ञात किया गया है। रियायत में प्रत्यायित प्रेस कैमरामैन के लिए डिजिटल कैमरे भी होंगे।

III प्रभारित प्रतिशुल्क के लिए विधिक उपबंध:

जहां कहीं देश में उत्पादित समरूप माल पर ऐसे आधार पर उत्पादन शुल्क प्रभारित किया जाता है वहां अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपभोक्ता माल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (प्रतिशुल्क) प्रभारित करने के लिए विधिक उपबंध किए गए हैं।

IV सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख और धारा 9क में संशोधन:

- **शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों में एककों या विशेष आर्थिक जोनों द्वारा आयातित माल पर प्रतिपाटन शुल्क या सुरक्षोपाय शुल्क पर छूट का उपबंध किया गया है।**
- **टैरिफ दर कोटा के आधार पर सुरक्षोपाय शुल्क से छूट का उपबंध किया गया है।**

संघ उत्पाद-शुल्क

टिप्पणः *वि.उ.शु. से विशेष उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।*

अ.उ.शु. से विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अभिप्रेत है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से संबंधित मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैंः

I. मूल्यानुसार शुल्क दर संरचना में परिवर्तन

क. साधारण मूल्यानुसार दर संरचनाः-

- उत्पाद-शुल्क संरचना को 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (केवल चार अपवादों सहित) को एकल दर में सुव्यवस्थित किया गया है।
- विशेष उत्पाद-शुल्क की 8%, 16% और 24% की दरों को कम करके अब 16% की एकल दर की गई है।

विद्यमान दर (मूल्यानुसार)			**प्रस्तावित दर (मूल्यानुसार)**		
के.मू.व.क.	+	वि.उ.शु.	के.मू.व.क.	+	वि.उ.शु.
16%	+	-	16%	+	-
16%	+	8%	16%	+	शून्य या 16%
16%	+	16%	16%	+	16%
16%	+	24%	16%	+	16%

ख. फलों और सब्जियों पर आधारित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों (जैम, जेली, चटनी, केचअप, सूप आदि) को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

ग. सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क (रा.वि. शुल्क) नामक अतिरिक्त उद्ग्रहण अधिरोपित किया गया है।

घ. 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (आंशिक छूट सहित) की विद्यमान संरचना में परिवर्तनः

- **निम्नलिखित मदों पर आंशिक छूट वापस ले ली गई है। वे अब 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर पर प्रभारित किए जाएंगे।**
  - (क) धुलाई का साबुन
  - (ख) ऊनी सूत
  - (ग) मोटा सूत
  - (घ) ऊनी टाप्स
  - (ङ) विस्कोस सूत यदि हथकरघे के लिए प्रदाय किया गया है
  - (च) फ्लैक्स या रैमी सूत
  - (छ) 5 रुपए से अनधिक अधिकतम खुदरा मूल्य और 100 ग्राम से अनधिक भार वाले बिस्कुट
- **निम्नलिखित मदों पर 8% शुल्क की प्रभावी दर जारी रहेगीः-**
  - (क) द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)
  - (ख) किरोसिन
  - (ग) सिलाई धागे सहित कपास सूत
  - (घ) 10 अश्व शक्ति तक के डीज़ल इंजन

ङ 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 8% विशेष उत्पाद-शुल्क की विद्यमान संरचना में परिवर्तनः-

- निम्नलिखित मदों पर अब 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रभारित किया जाएगा और इन पर कोई विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं होगाः-
  - (क) कांचित टाइलें और कांचावनीय टाइलें
  - (ख) स्कूटर और मोटरसाइकिलें
  - (ग) टैक्सियां
  - (घ) गद्दे और बिछायतें
  - (ङ) कालीन और टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग
  - (च) पेंट किए हुए कैनवस, स्टूडियो बैक क्लोथ या सदृश
  - (छ) लिनोलियम, दीवारों के टेक्सटाइल आच्छादन
- निम्नलिखित मदें 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क से प्रभारित की जाएंगीः-
  - (क) सफेद सीमेंट और अन्य विशेष सीमेंट
  - (ख) नाव और क्रीड़ा नौका
  - (ग) शस्त्र और गोला-बारूद (प्राइवेट उपयोग हेतु)
  - (घ) फरदार चर्म और कृत्रिम फर के विनिर्माता।

च. 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 24% विशेष उत्पाद-शुल्क की विद्यमान संरचना में परिवर्तनः-

- निम्नलिखित मदों पर अब 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क प्रभारित किया जाएगा
  - (क) वातित सुपेय
  - (ख) सांद्र सुपेय, यदि बिक्री मशीनों को प्रदाय किया जाता है
  - (ग) मोटर कारें

- पान मसाला, जिसमें तंबाकू(गुटखा) भी है, को अध्याय 21 से हटाकर अध्याय 24 में रखा गया है।
- पान मसाला पर, जिसमें तंबाकू नहीं है, कुल 55% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क + 23% राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क) लगाया जाएगा।
- पान मसाला पर, जिसमें तंबाकू (गुटखा) भी है, कुल 60% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क + 18% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क +10% राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क) लगाया जाएगा।
- खाने वाला तंबाकू, नसवार तम्बाकू और उसी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों पर अब कुल 60% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क + 18% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क + 10% राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क) लगाया जाएगा।
- पान मसाला, जिसमें तम्बाकू और खाने वाला तम्बाकू जैसे अन्य तम्बाकू उत्पाद भी हैं, को अब पूर्वोत्तर राज्यों को लागू उत्पाद-शुल्क छूट की स्कीम से अपवर्जित किया जाएगा।

छ. पेट्रोल, डीज़ल और संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) पर शुल्कः-

- मोटर स्प्रिट पर शुल्क 16% से बढ़ाकर 32% (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर +16% विशेष उत्पाद शुल्क)किया गया है।
- उच्च गति डीज़ल तेल पर शुल्क, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर 12% से बढ़ाकर 16% कर दिया गया है।
- संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) पर 8% की दर पर उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है।

ज. ऊनी, फैब्रिक पर विद्यमान 21% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर + 5% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) को पुनरीक्षित करके 16% (8% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 8% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) किया गया है।

झ. कार्टनों, बाक्सों, आधानों, नालीदार पेपर या पेपर बोर्डों के केसों पर छूट वापस ले ली गई है। अब उन पर 16% का नाममात्र केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर लगेगा।

ञ. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड/व्यवसाय नाम के अधीन विक्रीत परिधानों और पहनावे पर, 16% का उत्पाद-शुल्क 1.3.2001 से प्रभावी होगा।

II. विनिर्दिष्ट शुल्क दर संरचना में परिवर्तन

क. सिगरेटों और बीड़ियों पर निम्नलिखित रूप से राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क (रा.वि.शुल्क) अधिरोपित किया गया हैः-

	<u>विद्यमान शुल्क</u> (प्रति 1000 रुपए) आधारित+अ.उ.शु.	<u>प्रस्तावित शुल्क</u> (प्रति 1000 रुपए) आधारित+अ.उ.शु.	<u>रा.आ.आ.शु.</u>	<u>प्रस्तावित कुल शुल्क (प्रति हजार रुपए)</u>
• **फिल्टर रहित सिगरेटें:**				
* लंबाई में 60 मिमी से अनधिक	115	115	+20	135
* लंबाई में 60 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी से कम	390	390	+60	450
• **फिल्टर सिगरेटें:**				
* लंबाई में 70 मिमी से अनधिक	580	580	+90	670
* लंबाई में 70 मिमी से अधिक किन्तु 75 मिमी से अनधिक	945	945	+145	1090
* लंबाई में 75 मिमी से अधिक किन्तु 85 मिमी से अनधिक	1260	1260	+190	1450
* लंबाई में 85 मिमी से अधिक	1545	1545	+235	1780
• **बीड़ियां**	6	6	+1	7

	<u>विद्यमान शुल्क</u>	<u>प्रस्तावित शुल्क</u>
	(रुपए प्रति सौ बाक्स, जिसमें प्रत्येक में 50 तिल्लियां हों)	
ख. दियासलाई सेक्टर		
* हस्तनिर्मित सेक्टर (कुटीर सेक्टर)	25 पैसा	50 पैसा
* मध्य सेक्टर	85 पैसा	1 रुपया
* अर्ध यंत्रीकृत सेक्टर	1.25 रुपए	2 रुपए
* यंत्रीकृत सेक्टर	2.40 रुपए	3 रुपए

III. उद्योग संबंधी विनिर्दिष्ट परिवर्तनः

स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ताः-

* निवेश पर समझे गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय सहित चैम्बर आधारित प्रशमित शुल्क की विद्यमान प्रणाली के स्थान पर अब स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ता 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के मूल्यानुसार शुल्क के अधीन होगा।
* यह 1 मार्च, 2001 से प्रभावी होगा।

IV. लघु उद्योग स्कीम में परिवर्तनः-

क. निम्नलिखित मदें लघु उद्योग छूट स्कीम में सम्मिलित नहीं होंगीः-

* बाल या बेलन बियरिंग
* कपास सूत
* आयुध और गोला बारूद (प्राइवेट उपयोग के लिए)

ख. अब लघु उद्योग छूट स्कीम निम्न मदों पर विस्तारित की गई है:-

* व्यूतित स्थूणा फैब्रिक
* सनील सूत

V. अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित उत्पाद-शुल्क निर्धारण का विस्तार:-

क. तीन नई मदें अधिकतम खुदरा मूल्य पर आधारित निर्धारण स्कीम में सम्मिलित की गई हैं:-

* अभिरंजक
* भरक और पुट्टियां
* विरलक

ख. टी.वी. सेटों, विद्युत पंखों, कांचित/कांचावनित टाइलों तथा वातित जल की बाबत उपांतरित कमी की सीमा।

VI क. निम्नलिखित पर 4% की दर से उत्पाद-शुल्क (के.मू.व. क. प्रत्यय रहित) अधिरोपित किया गया है:-

(क) टूथ ब्रुश

(ख) नकली आभूषण

(ग) नजर के चश्मे

(घ) कांच की मेज और रसोई बर्तन

(ङ) रबड़ीकृत कॉयर के गद्दे

(च) श्याम और श्वेत टीवी सेट

(छ) 500 रुपए प्रति मद तक घड़ियां और बड़ी घड़ियां।

(ज) विद्युत बल्ब 20 रुपए प्रति मद तक

(झ) जूतादि, 125 रुपए प्रति जोड़ा

(ञ) मोमबत्तियां

ख. के.मू.व.क. प्रत्यय फायदों सहित 16% शुल्क का संदाय करने के लिए विकल्प अनुज्ञात है।

VII. सेवा-कर

क. निम्नलिखित सेवाओं पर 1 जुलाई, 2001 से प्रभावी 5% की दर से सेवा कर अधिरोपित किया गया है:-

<u>क्र.सं.</u>	<u>सेवाओं का विवरण</u>
1.	वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्शी सेवाएं
2.	फोटोचित्रण सेवाएं
3.	कन्वेंशन सेवाएं
4.	टेलेक्स सेवाएं
5.	तार सेवाएं
6.	अनुलिपि (फैक्स) सेवाएं
7.	ऑन-लाइन सूचना तथा डाटा बेस अभिगमन और/या पुनःप्राप्ति सेवाएं
8.	वीडियो टेप उत्पादन सेवाएं
9.	ध्वन्यांकन सेवाएं
10.	प्रसारण सेवाएं (रेडियो और टेलीविज़न)
11.	बीमा सहायक सेवाएं (जिसमें दलाली और अभिकरण सेवाएं भी हैं)
12.	बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाएं (बीमा को छोड़कर)

(क) वित्तीय पट्टा जिसके अंतर्गत उपस्कर पट्टा और किसी निकाय निगम द्वारा भाड़ा क्रय भी है।

(ख) क्रेडिट कार्ड सेवाएं

(ग) वणिक बैंककारी सेवाएं

(घ) प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) दलाली;

(ङ) आस्ति प्रबंधन जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षकीय निक्षेपागार तथा न्यास सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसमें रोकड़ प्रबंधन सम्मिलित नहीं है;

(च) सलाहकारी और सहायक वित्तीय सेवाएं जिसमें विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, विलियन और अर्जन संबंधी सलाह और कारपोरेट पुनर्संरचना तथा युक्ति संबंधी सलाह भी है: और

(छ) वित्तीय सूचना और आंकड़ा प्रसंस्करण का उपबंध और उनका अंतरण

13. पत्तन सेवाएं
14. यानों, जिनमें दुपहिए भी हैं, की सर्विस या मरम्मत के लिए प्राधिकृत सर्विस स्टेशन

(ख) पट्टा धारकों को दी गई सेवाएं भी 1.7.2001 से प्रभावी कर नेट के अंतर्गत आएंगी।

VIII. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर नियमों में संशोधन:-

(क) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर उधार के लिए भंडारकरण टैंक पूंजी माल में सम्मिलित किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर उधार स्कीम में सांचों और डाइयों के वैसे ही जिगों और फिक्सचरों को सुविधाएं विस्तारित की गई हैं।

प्रकीर्ण

क. सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का सरलीकरण किया जा रहा है और नियमों की संख्या में भारी कमी की जा रही है। नए नियम 1 जुलाई, 2001 से प्रवर्तनशील होंगे।

(ख) आयुक्त (अपील) या न्यायाधिकरण को अपील फाइल करने की सामान्य समय-सीमा 3 मास से कम करके 60 दिन कर दी गई है।

(ग) नवीन न्यायनिर्णयन के लिए मामले प्रतिप्रेषित करने की आयुक्त की शक्ति वापस ले ली गई है।

(घ) अपील के विनिश्चय की समय-सीमा 6 मास और जहां तक संभव हो सके स्थगन आवेदनों पर आदेश पारित करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा अधिकथित की गई है।

(ङ) सामान्य मामलों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क द्वारा, जहां तक संभव हो सके, सामान्य मामलों में 6 मास/कपट आदि के अन्तर्वलित मामलों में एक वर्ष के भीतर आदेश पारित किए जाएंगे।

(च) भांडागार में रखे गए माल पर ब्याज को तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संदत्त किया जाएगा। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् अधिसूचित तारीख को प्रभावी होंगे।

(छ) तारीख 15.3.2001 को या इसके पश्चात् निकाले गए माल की बाबत भांडागार में रखे गए माल पर ब्याज 24% की समान दर पर नियत किया गया है।

(ज) शुल्क के विलंबित संदायों में ब्याज दर, जो सभी मामलों में संदाय की जानी थी, उसके पश्चातवर्ती मास के पहले दिन से प्रभारित की जाएगी।

(झ) ऐसे मामलों में, जहां कम उद्ग्रहण का ब्याज सहित संदाय, स्वेच्छा से कर दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस और न्यायनिर्णयन कार्यवाही का उपबंध समाप्त कर दिया गया है।

(ञ) ऐसे मामलों में जहां, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37ख के अधीन या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 151क के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, अनुदेश या निदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर यदि कोई निर्धारिती शुल्क का संदाय कर देता है तो उस पर ब्याज संदेय नहीं होगा।

(ट) अद्यतन अनुदेशों और प्रक्रिया के नए मैंनुअल 1 सितंबर, 2001 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सरलता, संक्षिप्तता और पारदर्शिता पर बल दिया जाएगा।

(ठ) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112/धारा 113 के अधीन अधिरोपित शास्ति का सुव्यवस्थीकरण।

ख. सेवा-कर

(क) सेवा-कर में स्वनिर्धारण के लिए उपबंध करना।

(ख) विवरणी न फाइल करने के लिए 1000 रुपए से अनधिक शास्ति का उपबंध करना।

(ग) अरजिस्ट्रीकरण के लिए 500 रुपए की शास्ति का उपबंध करना।

(घ) कर के विलंबित संदाय के लिए ब्याज दर 18% से बढ़ाकर 24% किया जाना।

(ङ) सहायक आयुक्त/उपायुक्त द्वारा पारित किए जाने वाले मूल आदेश प्रदान करना।